कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

वेब परिचालन

संख्या: हि.अ./ति.प्र.रि./संगठन/2018/ /2426 दिनांक: 11 MAR 2026

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी, सभी आंचलिक (जोनल) कार्यालय,
निदेशक- पीडीनास, सभी प्रभारी अधिकारी, आं.प्र.सं. एवं उप आं.प्र.सं.
प्रभारी अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय,

विषय: हिंदी पुस्तकों की खरीद के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको विदित है राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पुस्तकों (सलंग्न विवरण के अनुसार) की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि में से हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% खर्च किया जाना अनिवार्य है। मुख्यालय समय समय पर इस संबंध में निदेश जारी करता रहा है। संसदीय राजभाषा समिति भी इस लक्ष्य की प्राप्ति पर विशेष बल देती है और उल्लंघन को गंभीरता से लेती है। चालू वित्त वर्ष के लिए पुस्तकों की खरीद का लक्ष्य 31.3.2026 तक प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भाग-II में पुस्तकों की खरीद संबंधी आंकड़ों की समीक्षा की जाती है और इस मद के लक्ष्यों की प्राप्ति न करने के कारण बहुत से कार्यालय उत्कृष्ट श्रेणी से वंचित रह जाते हैं और संगठन की ओवर ऑल परफॉरमेंस में भी कमी आती है।

उपर्युक्त के आलोक में सभी आंचलिक कार्यालयों के प्रभारियों से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। यदि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं तो **31 मार्च 2026 से पहले सभी कार्यालय नियमानुसार पुस्तकों की खरीद कर लें और मुख्यालय को इसकी सूचना dir.ol@epfindia.gov.in पर भेजें।**

(अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्या.) प्रभारी राजभाषा के अनुमोदन से जारी)

भवदीया

संलग्न : उपर्युक्त

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	